



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



10 कार्तिक, 1945 (श०)

संख्या - 36 राँची, बुधवार

1 नवंबर, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

भाग 1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 434-453
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

भाग 1-क—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के
आदेश ।

भाग 1-ख—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए.,
बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग और
2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड.,
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम
छात्रवृत्ति प्रदान आदि

भाग 1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

भाग-2—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा
निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ
एवं नियम आदि ।

भाग 3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और
उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम
'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।

भाग-4—झारखण्ड अधिनियम

भाग-5—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित
विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या
उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के
प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के
पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8—भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक,
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9— विज्ञापन

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ,
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ
इत्यादि।

प्रक-

...

...

प्रक "अ"

...

...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

17 अगस्त, 2023

संख्या-04/नि०सं०-12-29/2016 का. 4676--श्री अनुप किशोर शरण, से०नि०, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 545/03) द्वारा दिनांक 16.11.1998 से 26.05.1999 (कुल 192 दिन) तथा दिनांक 15.07.2009 से 27.07.2009 (कुल 13 दिन) तक के अनिर्णित अवधि के विनियमन हेतु आवेदन समर्पित किया गया था ।

2. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के प्रभार रहित अवधि के विनियमन/अवकाश स्वीकृति हेतु संलग्न किये जानेवाले कागजातों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 6069 दिनांक 28.09.2022 के द्वारा दिशानिर्देश निर्गत है ।

3. उक्त परिपत्र के आलोक में श्री शरण से सक्षम स्तर से अवकाश स्वीकृति संबंधी पत्र/सक्षम स्तर को अवकाश संबंधी समर्पित आवेदन/प्रभार त्याग प्रतिवेदन/प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन तथा पदस्थापन संबंधी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने हेतु विभागीय पत्रांक 233 दिनांक 19.01.2022, 7704 दिनांक 07.12.2022 तथा 2178 दिनांक 13.04.2023 के द्वारा निदेश दिया गया ।

4. विनियमन हेतु आवश्यक कागजात संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में श्री शरण से उक्त अविनियमित अवधि को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत करने हेतु स्पष्ट (specific) आवेदन उपलब्ध कराने का निदेश भी उपर्युक्त विभागीय पत्रों द्वारा दिया गया ।

5. उपर्युक्त याचित कागजात श्री शरण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। परन्तु श्री शरण द्वारा दिनांक 04.07.2023 को समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 16.11.1998 से 26.05.1999 की अवधि में उनके पिता का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उक्त अवधि में असाधारण अवकाश में रहना पड़ा ।

6. श्री शरण द्वारा दिनांक 30.12.2022 को समर्पित अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया है कि अनिर्णित अवधि दिनांक 15.07.2009 से 27.07.2009 तक वे अवकाश में थे। अवकाश के संदर्भ में भी श्री शरण द्वारा कोई कागजात संलग्न नहीं किया गया ।

7. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड के पत्रांक 507 दिनांक 14.09.2020 के अनुसार दिनांक 31.07.2019 तक श्री शरण को 496 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश देय है ।

8. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री अनुप किशोर शरण, से०नि०, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 545/03) का दिनांक 16.11.1998 से 26.05.1999 तक (कुल 192 दिन) तथा दिनांक 15.07.2009 से 27.07.2009 तक (कुल 13 दिन) के अनिर्णित अवधि को निम्नवत् स्वीकृत किया जाता है

- | | |
|--|---|
| क) दिनांक 16.11.1998 से 26.05.1999 तक
(कुल 192 दिन) | - झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप में |
| ख) दिनांक 15.07.2009 से 27.07.2009 तक
(कुल 13 दिन) | - को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-232 के तहत अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

25 अक्टूबर, 2023

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III) श्र०नि०-1746--श्री अरविन्द कुमार, श्रम अधीक्षक, जमशेदपुर-2 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, चतरा एवं श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, घाटशिला को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, जमशेदपुर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

अधि० सं०-1/स्था०श्र०नि०प्र०-2037/2010(खण्ड-III) श्र०नि०-1747--श्री शैलेन्द्र कुमार शाह, श्रम अधीक्षक, देवघर अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, जामताड़ा एवं श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक, देवघर को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, देवघर का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के उप सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

7 जुलाई, 2023

संख्या-3/नि०सं०-09-51/2014 का० 3841--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री जय किशोर प्रसाद (कोटि क्रमांक 691/03), अपर सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा उपभोग किये गये अवकाश अवधि दिनांक 29.04.2023 से 14.05.2023 तक (कुल 16 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के उप सचिव ।-----
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।-----
अधिसूचना

24 जुलाई, 2023

संख्या-1/विविध-803/2016 खण्ड का०-4190--श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. CEO, JSLPS, Jharkhand को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम- 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक-10.07.2023 से 04.08.2023 तक कुल 26 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक-05.08.2023 को सार्वजनिक/राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 अगस्त, 2023

संख्या-1/विविध-816/2020 का०-4643--श्रीमती समीरा एस० भा.प्र.से. (ज्ञा:2018), उप विकास आयुक्त, लोहरदगा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 18 के तहत दिनांक 11.09.2023 से 08.03.2024 तक कुल 180 (एक सौ अस्सी) दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

25 अक्टूबर, 2023

पत्रांक-13/आई०पी०एस०-101/2023-4880--

प्रेषक,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक0),
झारखण्ड, राँची ।

विषय- डॉ० माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006) के द्वारा दिनांक-01.08.2023 से 10.09.2023 तक बिताई गयी प्रभार रहित अवधि की सेवा विनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सी०बी०आई० के कार्यालय आदेश सं०-1661, दिनांक-13.07.2023 द्वारा डॉ० माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006) को दिनांक-13.07.2023 के अपराह्न से झारखण्ड राज्य में सी०बी०आई० से सेवा वापस करते हुए दिनांक-14.07.2023 से 31.07.2023 तक कुल 18(अठारह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया। अवकाश उपभोग के उपरांत इनके द्वारा दिनांक-01.08.2023 के पूर्वा० में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान समर्पित किया। विभागीय अधिसूचना सं०-4079 दिनांक-08.09.2023 के द्वारा इन्हें पुलिस उपमहानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया गया है तथा पुलिस मुख्यालय का ज्ञापांक-1353, दिनांक-08.09.2023 द्वारा इस संबंध में गत्यादेश निर्गत किया गया है। उक्त आदेश के आलोक में इनके द्वारा दिनांक-11.09.2023 के पूर्वा० में पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, झारखण्ड, राँची के पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण किया गया। डॉ० माईकल राज एस०, भा०पु०से० (2006) दिनांक-01.08.2023 से 10.09.2023 तक कुल 41 (इकतालिस) दिनों तक प्रभार रहित रहें, जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है ।

2. उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा डॉ० माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006) के द्वारा पदस्थापन की प्रतीक्षा में बितायी गयी दिनांक-01.08.2023 से 10.09.2023 (कुल-41 दिन) तक की अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6) (a) (ii) तथा 9(6) (b) (i) तथा इसके सदृश राज्य सेवा संहिता के नियम-14(क) तथा 14(ख) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में सेवा विनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

3. डॉ० माईकल राज एस०, भा०पु०से०(2006) को उक्त अवधि के लिए कोटि वेतन देय होगा।

विश्वासभाजन,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

18 अक्टूबर, 2023

विषय- लोहरदगा जिला में दिनांक-23.01.2020 को विश्व हिन्दु परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 (एकानवें) व्यक्तियों के चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹0 51,53,600/- (एकावन लाख तिरपन हजार छः सौ रुपये) मात्र मुआवजा भुगतान की स्वीकृति ।

संख्या-08/विविध(01)-14/2020-5876--उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा लोहरदगा जिला में दिनांक-23.01.2020 को विश्व हिन्दु परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलूस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव में हुई चल/अचल सम्पत्ति के हुए क्षति से संबंधित क्षतिपूर्ति हेतु विभागीय संकल्प सं०-4215, दिनांक-10.07.2010 के प्रावधान के अनुसार क्षति का आकलन कर कुल 91 (एकानवे) प्रभावितों को क्षतिपूर्ति राशि भुगतान के लिए कुल राशि ₹0 51,53,600/- (एकावन लाख तिरपन हजार छः सौ रुपये) मात्र का मुआवजा भुगतान की स्वीकृति कर आवंटन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ।

2. इस मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद W.P. (Cr) No.409/2021 Deepak Kumar Agarwal vs State of Jharkhand & Ors विचाराधीन है। उक्त वाद में घटित घटना में हुई क्षति की क्षतिपूर्ति हेतु मुआवजा भुगतान की याचना की गई है। अतः उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा याचित मुआवजा भुगतान हेतु राशि की स्वीकृति कर आवंटन उपलब्ध कराया जाना सरकार क समक्ष विचाराधीन था ।

3. विभागीय संकल्प संख्या-3251, दिनांक-20.07.2023 द्वारा आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले में क्षतिग्रस्त चल-अचल सम्पत्ति के नुकसान के एवज में सामान्य नागरिकों को क्षतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति संबंधी विभागीय कंडिका संख्या-4215, दिनांक-10.07.2010 में संशोधन करते हुए उक्त संकल्प के अन्य प्रावधानों को यथावत रखते हुए कंडिका-1 (i) में अंकित "आतंकवादी /उग्रवादी /जातीय हमले" को "आतंकवादी /उग्रवादी /जातीय हमले साम्प्रदायिक/तनाव/हिंसा/दंगे" से प्रतिस्थापित किया गया है। जो संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी है। जबकि लोहरदगा की घटना वर्ष 2020 की है, अतएव उक्त संकल्प के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने में कठिनाई आ रही थी ।

4. उल्लेखनीय है कि विभागीय संकल्प संख्या-4215, दिनांक-10.07.2010 में पूर्व से ही "आतंकवादी/उग्रवादी/जातीय हमले" में चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान पर मुआवजा भुगतान का उल्लेख है। पूर्व के वर्षों में विशेष परिस्थिति में उक्त संकल्प के आलोक में ऐसे साम्प्रदायिक मामलों में मुआवजा भुगतान की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है। लोहरदगा जिला में दिनांक-23.01.2020 को हुई साम्प्रदायिक घटना में अत्यधिक लोग प्रभावित हुए हैं। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए विशेष परिस्थिति में उक्त संकल्प के आधार पर लोहरदगा जिला में दिनांक-23.01.2020 को विश्व हिन्दु परिषद् के बैनर तले नागरिक संशोधन कानून (CAA) के समर्थन में निकाले गये जुलुस के दौरान पथराव आगजनी एवं उत्पन्न साम्प्रदायिक तनाव से प्रभावित कुल 91 (एकानवे) व्यक्तियों के चल/अचल सम्पत्ति के नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु कुल ₹0 51,53,600/- (एकावन लाख तिरपन हजार छः सौ रुपये) मात्र मुआवजा की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

5. उक्त प्रस्ताव पर वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची की सहमति इस शर्त के साथ प्राप्त है कि इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा एवं प्रत्येक ऐसे मामले जो विशेष स्वरूप के हों, पर मंत्रीपरिषद् की स्वीकृति की आवश्यकता होगी ।

6. विभागीय संलेख ज्ञापांक-5474, दिनांक-26.09.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रीपरिषद् की बैठक दिनांक-05.10.2023 में मद संख्या-18 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अविनाश कुमार,
अपर मुख्य सचिव।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2023

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-116/2020-4932-डॉ॰ शम्स तबरेज, भा॰पु॰से॰, पुलिस उप-महानिरीक्षक(बजट), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-02.11.2023 से 18.11.2023 तक कुल 17 (सतरह) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में अपने निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु उमरा (तीर्थ यात्रा) हेतु विदेश (सऊदी अरब मक्का मदीना) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

30 अक्टूबर, 2023

संख्या-13/आई॰पी॰एस॰-104/2019-4967--श्री आर॰के॰ मल्लिक, भा॰पु॰से॰, अपर पुलिस महानिदेशक, संचार एवं तकनीकी सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम 10,11 एवं 20 के तहत दिनांक-24.11.2023 से 28.11.2023 तक कुल-05 (पाँच) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। साथ ही, उक्त अवधि में अपने निजी व्यय पर निजी प्रयोजन हेतु विदेश (दुबई) यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BISHWAMBHAR MEHTA, BED KUMAR MEHTA (अन्य नाम UTTAM MEHTA) का पिता, शपथ पत्र सं० 03-1098, दिनांक 3 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र BED KUMAR MEHTA के नाम से जाना जायेगा ।

BED KUMAR MEHTA एवं UTTAM MEHTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - DUMARSOTA,
P.O. - KANDI,
P.S. - BHAWNATHPUR,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, BAL KRISHNA BHAGAT, HARSH BHAGAT (अन्य नाम HARSH SPARSH LAKRA) का पिता, शपथ पत्र सं० 255, दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र HARSH BHAGAT (जन्म तिथि - 3 सितम्बर, 2008) के नाम से जाना जायेगा ।

HARSH BHAGAT एवं HARSH SPARSH LAKRA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - TANGRA TOLI,
P.O. - HEHAL,
P.S. - SUKHDEONAGAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GANESH PRASAD, SONALI RAJ (अन्य नाम GOLDI RANI) का पिता, शपथ पत्र सं० 3649, दिनांक 29 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SONALI RAJ के नाम से जानी जायेगी।

SONALI RAJ एवं GOLDI RANI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - KUJU BASTI,
P.O. - KUJU,
P.S. - MANDU,
DIST. - RAMGARH,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RANJEET KUMAR MAHTO अन्य नाम SAHABIR KUMAR MAHTO पिता SHRI JHALKO MAHTO, शपथ पत्र सं० 06, दिनांक 21 नवंबर, 2022 के अनुसार RANJEET KUMAR MAHTO के नाम से जाना जाऊँगा।

RANJEET KUMAR MAHTO एवं SAHABIR KUMAR MAHTO दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - HUNDUR,
P.S. - PITHORIA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 835217
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ROLEN KERKETTA अन्य नाम MANGAL ORWAN पिता HABIL KERKETTA, शपथ पत्र सं० 1711, दिनांक 12 नवंबर, 2022 के अनुसार ROLEN KERKETTA के नाम से जाना जाऊंगा ।

ROLEN KERKETTA एवं MANGAL ORWAN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - HATMA, BHATTA TOLI,
P.O. - RANCHI UNIVERSITY,
P.S. - GONDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAM BILAS KUMAR, ADVIKA KUMARI (अन्य नाम ROLY KUMARI) का पिता, शपथ पत्र सं० 669/2022, दिनांक 22 अक्टूबर, 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ADVIKA KUMARI (जन्म तिथि - 9 अगस्त, 2008) के नाम से जानी जायेगी ।

ADVIKA KUMARI एवं ROLY KUMARI दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - KUMHAR TOLI BHERWA,
P.O. & P.S. - MADHUPUR,
DIST. - DEOGHAR,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, NAVIN KUMAR PANDEY, ANJALI PANDEY (अन्य नाम JANU PANDEY) का पिता, शपथ पत्र सं० 1055, दिनांक 26 अप्रैल, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री ANJALI PANDEY के नाम से जानी जायेगी।

ANJALI PANDEY एवं JANU PANDEY दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - GOSANG,
P.O. - KUSHAHA,
P.S. - KANDI,
DIST. - GARHWA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, TINNA अन्य नाम AGUSTINA KONGARI पति Late PAULUS KONGARI, शपथ पत्र सं० 167, दिनांक 28 जुलाई, 2023 के अनुसार TINNA के नाम से जानी जाऊँगी।

TINNA एवं AGUSTINA KONGARI दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - VILL. - URIKEL BARKA TOLI,
P.O. - MARCHA,
P.S. - RANIYA,
DIST. - KHUNTI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RITA DODEJA अन्य नाम RITA पति GHANSHYAM DODEJA, शपथ पत्र सं० 127, दिनांक 2 मई, 2023 के अनुसार RITA DODEJA के नाम से जानी जाऊँगी।

RITA DODEJA एवं RITA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. KT - D3,
4TH FLOOR, KRISH TOWER, ROAD 1A,
BOSCO NAGAR, LATMA ROAD, HATIA,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, GHANSHYAM DODEJA अन्य नाम GHANSHYAM पिता Late CHANDUMAL, शपथ पत्र सं० 128, दिनांक 2 मई, 2023 के अनुसार GHANSHYAM DODEJA के नाम से जाना जाऊँगा।

GHANSHYAM DODEJA एवं GHANSHYAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. KT - D3,
4TH FLOOR, KRISH TOWER, ROAD 1A,
BOSCO NAGAR, LATMA ROAD, HATIA,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RANJANA KUMARI अन्य नाम RANJANA SHEKHAR पति MR. RAJ SHEKHAR, शपथ पत्र सं० 931, दिनांक 25 मई, 2023 के अनुसार RANJANA KUMARI के नाम से जानी जाऊँगी।

RANJANA KUMARI एवं RANJANA SHEKHAR दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - MAA ENCLAVE
CHESHAIR HOME ROAD BARIATU,
P.S. - SADAR,
DIST. - RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SACHIN ANAND, SHRAVANI VISHWAKARMA (अन्य नाम AVNI VISHWAKARMA) का पिता, शपथ पत्र सं० 1129, दिनांक 28 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री SHRAVANI VISHWAKARMA (जन्म तिथि - 6 नवंबर, 2017) के नाम से जानी जायेगी।

SHRAVANI VISHWAKARMA एवं AVNI VISHWAKARMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - NEW ROAD LOHARDAGA,
P.O. & P.S. & DIST. - LOHARDAGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, DURGESH BAHADUR SRIVASTAVA, GAURANG SRIVASTAVA (अन्य नाम DIVYANSH SRIVASTAVA) का पिता, शपथ पत्र सं० 61, दिनांक 24 जुलाई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र GAURANG SRIVASTAVA (जन्म तिथि - 11 मई, 2010) के नाम से जाना जायेगा।

GAURANG SRIVASTAVA एवं DIVYANSH SRIVASTAVA दोनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - KSHIR SAGAR APARTMENT,
KANKE ROAD NEAR CHANDANI CHOWK,
P.S. - GONDA,
DIST. - RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAMESH KUMAR AGARWAL अन्य नाम UMESH KUMAR एवं UMESH KUMAR AGARWAL पिता Late RATAN LAL AGARWAL, शपथ पत्र सं० 1209, दिनांक 11 मई, 2023 के अनुसार RAMESH KUMAR AGARWAL के नाम से जाना जाऊँगा।

RAMESH KUMAR AGARWAL, UMESH KUMAR एवं UMESH KUMAR AGARWAL तीनों एक ही पुरुष का नाम है।

RESIDENT OF - NEAR BIHARI DURGA ASTHAN, MALVIYA MARG,
P.O. - BODDAM BAZAR,
P.S. - LOHSINGHNA,
DIST. - HAZARIBAG,
PIN - 825301
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, VIKAS SINGH, VEDIKA SINGH (अन्य नाम VEDIKA) का पिता, शपथ पत्र सं० 05, दिनांक 2 मई, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री VEDIKA SINGH (जन्म तिथि - 14 फरवरी, 2008) के नाम से जानी जायेगी।

VEDIKA SINGH एवं VEDIKA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 705,
PANCHWATI RESIDENCY,
KANKE ROAD,
CHANDANI CHOWK,
MISIRGONDA ALIAS PAHARGONDA,
RANCHI UNIVERSITY KANKE, RANCHI,
PIN - 834008
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, ANISH SHARMA, PRISHA SHARMA (अन्य नाम INAAYA ANISH SHARMA) का पिता, शपथ पत्र सं० 272, दिनांक 17 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरी पुत्री PRISHA SHARMA (जन्म तिथि - 5 फरवरी, 2018) के नाम से जानी जायेगी।

PRISHA SHARMA एवं INAAYA ANISH SHARMA दोनों एक ही महिला का नाम है।

RESIDENT OF - FLAT NO. - 1-D,
BLOCK - C,
SATYABHAMA GRAND APARTMENT,
KUSAI, DORANDA,
RANCHI,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SANDEEP GUPTA, VIKRANT GUPTA (अन्य नाम BHAVYA GUPTA) का पिता, शपथ पत्र सं० 23375, दिनांक 21 अगस्त, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र VIKRANT GUPTA (जन्म तिथि - 1 नवंबर, 2019) के नाम से जाना जायेगा ।

VIKRANT GUPTA एवं BHAVYA GUPTA दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - TEMPLE ROAD, PURANA BAZAR,
P.S. - BANK MORE,
P.O. & DIST. - DHANBAD,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, SUNIL KUMAR SINHA, ADARSH SRIVASTAVA (अन्य नाम DESH RAJ SHIVAM) का पिता, शपथ पत्र सं० 303, दिनांक 6 सितम्बर, 2023 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ADARSH SRIVASTAVA के नाम से जाना जायेगा ।

ADARSH SRIVASTAVA एवं DESH RAJ SHIVAM दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - B3/F9B MOON CITY,
DIMNA ROAD, MANGO JAMSHEDPUR,
EAST SINGHBHUM,
JHARKHAND.

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, AGHANA LUGUN अन्य नाम DHARAMDAS LUGUN पिता Late SUKRU LUGUN, शपथ पत्र सं० 5232, दिनांक 1 सितम्बर, 2023 के अनुसार AGHANA LUGUN के नाम से जाना जाऊंगा ।

AGHANA LUGUN एवं DHARAMDAS LUGUN दोनों एक ही पुरुष का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - BANO SARNA TOLI,
P.O. - BANO,
P.S. - BANO,
DIST. - SIMDEGA,
JHARKHAND

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं, RAEN XALXO अन्य नाम RAEN KACHHAP पति Late MANGAL KACHHAP, शपथ पत्र सं० 1600, दिनांक 28 जुलाई, 2023 के अनुसार RAEN XALXO के नाम से जानी जाऊंगी ।

RAEN XALXO एवं RAEN KACHHAP दोनों एक ही महिला का नाम है ।

RESIDENT OF - VILL. - MISSION COMPOUND,
P.O. - GUMLA,
P.S. - GUMLA,
DIST. - GUMLA,
PIN - 835207
JHARKHAND
